## सार-समाचार

### जिला कलक्टर ने किया ईवीएम वीवीपेट वेयर हाउस का निरीक्षण

**जयपुर (कासं)।** जिला कलक्टर राजन विशाल गुरुवार सुबह निवारू रोड स्थित निर्वाचन विभाग के ईवीएम वीवीपेट वेयर हाउस पहुंचे तथा वहां रखी ईवीएम/वीवीपेट मशीनों के रखरखाव, कार्यप्रणाली आदि के बारे में निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) राजेन्द्र सिंह चारण उपस्थित रहे।

### गिलोय घनवटी आयुर्वेदिक दवा का वितरण

**प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हेतु किया गया वितरण**



**जयपुर (कासं)।** आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित गिलोय आयुर्वेदिक दवा 'गुडुची घनवटी' का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के सहयोग से उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय में वितरण किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहयोग से गुडुची घनवटी का वितरण राजकीय कार्यालयों में निशुल्क किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ पी.के. सामंत राय ने वितरण केंद्र अवलोकन किया एवं अपने हाथों से कर्मचारियों को गुडुची घनवटी का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि गिलोय एक आयुर्वेदिक दवा है, इसके प्रयोग से शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता का विकास होता है। अपर महाप्रबंधक गौतम अरोड़ा ने आयुष मंत्रालय की पहल का स्वागत करते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से अपील की कि वह इस सुविधा का लाभ लें। यशवंत कुमार शर्मा, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के विशेष प्रयासों से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा प्रधान कार्यालय में वितरण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 490 कर्मचारी एवं अधिकारियों को 1500 से अधिक गिलोय की गुडुची घनवटी डब्बी बांटी गई हैं।

### यात्री ट्रेनों के समयपालन में लगातार सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर प्रथम स्थान पर

**वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक रिकार्ड 23.78 मिलियन टन माल लदान किया**

**जयपुर (कासं)।** विजय शर्मा महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे के दिशानिर्देशों अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेल संचालन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि यात्री और माल उपभोक्ताओं को अधिकाधिक सुविधा प्रदान की जा सकें। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार विजय शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप यात्री ट्रेनों के संचालन पर उत्तर पश्चिम रेलवे पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे इस वर्ष जनवरी माह तक 98.36% के समयपालन को प्राप्त कर सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर प्रथम स्थान पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे विगत दो वर्ष से लगातार यात्री गाडियों की समय पालन में सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर अग्रणी बना हुआ है।

देश के प्रत्येक भाग में आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति हो इसके लिये रेलवे द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्तमान में माल लदान में अभिनव प्रयोग किये जा रहे है, जिसके फलस्वरूप इण्डस्ट्रीयल वाटर, पुट्टी, प्याज, किन्नू एवं चाइना क्ले आदि के नवीन मदो का लदान प्रारम्भ किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर इस वर्ष जनवरी माह तक 23.78 मिलियन टन माल लदान किया गया, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि की 17.21 मिलियन टन से 38.2% अधिक है। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे को जनवरी माह तक 22.70 मिलियन टन माल लदान का लक्ष्य दिया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे ने लक्ष्य से 4.8 प्रतिशत अधिक माल लदान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे माल लदान की वृद्धि दर में समस्त भारतीय रेलवे पर दूसरे स्थान पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 1729 वैगन प्रतिदिन लोडिंग के लक्ष्यों के मुकाबले प्रतिदिन 1868 वैगन प्रतिदिन माल लदान किया गया है, साथ ही जनवरी माह तक माल लदान से प्राप्त आय 2728 करोड़ विगत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त आय 1954 करोड़ से 39.6 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में माल गाडियों की औसत गति 46.15 कि.मी. रही है। विजय शर्मा महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्देशन में उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री तथा माल परिवहन संचालन में सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर अलग पहचान बनाई है तथा नई ऊंचाईयों की ओर अग्रसर है।

### महापौर मुनेश गुर्जर ने स्व. राजेश पायलट को किया याद



**जयपुर (कासं)।** नगर निगम हैरिटेज महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर ने गुरुवार को भास्कर कार्यालय के पीछे स्थित राजेश पायलट छात्रावास में स्व.राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किये। इसके पहले महापौर ने स्व. पायलट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्व. राजेश पायलट को जन्म दिवस के मौके पर महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर ने स्व. पायलट की ओर से समाज के साथ किसानो और गरीबो के लिए किए गए कार्यों को याद किया।

# जलदाय एवं भूजल मंत्री की मौजूदगी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एमओयू

**आईएमटीआई-कोटा देगा क्षमता संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण**



**जयपुर (कासं)।** जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉ. महेश जोशी की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट-आईएमटीआई), कोटा द्वारा चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

इस एमओयू पर अटल भूजल योजना की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) तथा भूजल विभाग की ओर से परियोजना निदेशक सूरजभान सिंह तथा आईएमटीआई, कोटा की तरफ से महानिदेशक राजेन्द्र पारीक ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जलदाय एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत, अटल भूजल योजना के नोडल अधिकारी डॉ. बीएन भावे, मुख्य लेखाधिकारी जेके जैन, प्रोक्योरमेंट अधिकारी रमाकांत मिश्रा, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. विनय भारद्वाज सहित भूजल विभाग तथा आईएमटीआई, कोटा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस एमओयू के तहत आईएमटीआई, कोटा द्वारा प्रदेश में राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2021-22 में 56 तथा वर्ष 2022-23 में 336 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन किया जाएगा, जिन पर करीब 1.63 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

उल्लेखनीय है कि अटल भूजल योजना प्रदेश के 17 जिलों के 38 पंचायत समिति क्षेत्रों में लगभग 2 लाख हैक्टेयर भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है। इससे करीब 1.55 लाख कृषकों को फायदा होगा। योजना में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने एवं इसके न्यायसंगत उपयोग के लिए कृषि, उद्यानिकी, जलग्रहण एवं भूसंरक्षण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन, ऊर्जा तथा भूजल विभाग की योजनाओं द्वारा भूजल क्षेत्रों में कुशलतम जल प्रबंधन को प्रमोट करने एवं गिरते भूजल स्तर की रोकथाम का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

अटल भूजल में सीधे जो दो घटक शामिल किये गये है, उनमें पहला संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्धन द्वारा टिकाऊ भूजल प्रबंधन तथा दूसरा केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के साथ-साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक सहभागिता से टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। इनमें से प्रथम घटक के अंतर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित होंगे।

### रैरिटी क्षेत्र में संपत्ति निरूपण करने पर दर्ज कराया मुकदमा

प्रातःकाल संवाददाता

**जयपुर ।** नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आदर्श नगर के उपायुक्त श्री राम किशोर मीणा ने गुरुवार को थाना ट्रांसपोर्ट नगर में संपत्ति के विरूपण अधिनियम के तहत ईचिबान फाइनेंस 11/1 गोविंद मार्ग राजा पार्क जयपुर के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति सरकारी बिजली बाक्स एवं बिजली पोल पर पोस्टर लगाकर लोक प्रदर्शन कर संपत्ति विरूपण करने पर मुकदमा दर्ज कराया है।

### व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस की वर्तमान प्रक्रिया ही जारी रहेगी- ओला

**जयपुर (कासं)।** परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला ने गुरुवार को विधान सभा में बताया कि व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण हेतु संबंधित जिले में ही आवेदन किया जा सकेगा जहां वाहन पंजीकृत है। परिवहन राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में ओला ने कहा कि पूर्व में किसी भी जिले में वाणिज्यिक वाहन की फिटनेस नवीनीकरण करवाया जा सकता था लेकिन इसमें विभाग को कई प्रकार खामियां मिली, इसे ध्यान में रखते हुए नवीन प्रक्रिया अपनाई गई है और यह व्यवस्था ही लागू रहेगी। विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों की अनुचित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन को फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में कर सकता है जहां वाहन पंजीकृत है।

### पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए इसी सत्र में लाया जायेगा विधेयक

**जयपुर (कासं)।** नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में गृहमंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि कहा कि पेपर लीक होने के मामले को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधेयक तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए है जिससे इस तरह की अनियमितताएं नहीं हो इसके लिए सरकार द्वारा इसी सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा।

धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में रीट का पेपर दो बार वर्ष 2016 तथा वर्ष 2018 में आउट हुआ था। गत सरकार द्वारा सीबीआई तो दूर एसओजी तक से भी जांच नहीं करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में 5 बार पेपर लीक हुए थे, वर्ष 2014 में आरएएस, आरजेएस, वर्ष 2013 में एलडीसी तथा वर्ष 2018 जेल प्रहरी के भी पेपर लीक हुए थे। तत्कालीन सरकार द्वारा एक भी प्रकरण सीबीआई तो दूर एसओजी को भी नहीं सौंपा गया था।

उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों में क्रमशः 10, 11, 12 तथा 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि रीट के मामले में सरकार द्वारा अब तक 38 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों में उचित जांच नहीं की गई, इस कारण नकल गिरोह की हिम्मत बढ़ी है लेकिन अब सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा, विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए है जिससे अब पेपर लीक मामलों पर रोक लग सकेगी।

इससे पहले विधायक बलजीत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में धारीवाल ने बताया कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में पेपर आउट अथवा लीक के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका थानेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

**विद्युत निरीक्षणालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा**

### विद्युतजनित दुर्घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने के लिए तय होगी जवाबदेही, व्यवस्था को बनाया जाएगा पारदर्शी और कारगर- डॉ. अग्रवाल

**जयपुर (कासं)।** ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में विद्युत निरीक्षणालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और कारगर बनाया जाएगा। इसके लिए विभागीय विद्युत निरीक्षकों के साथ ही चार्टड विद्युत सुरक्षा अभियंताओं की जवाबदेही तय की जाएगी। डॉ. अग्रवाल गुरूवार को सचिवालय में विद्युत निरीक्षणालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेष में घरेलू से लेकर औद्योगिक व अन्य विद्युत तंत्र को सुरक्षित और दुर्घटनारहित स्थापना के साथ ही निर्धारित मानकों के अनुसार लगाने की जांच कर प्रमाणिकरण की जिम्मेदारी निरीक्षणालय के विभागीय व चार्टड विद्युत सुरक्षा अभियंताओं की है। संभवतः यह पहला अवसर होगा जब इस तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर जवाबदेही तय करने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विद्युत जनितदुर्घटनाओं के कारण जन-धन हानि की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे में विभागीय व चार्टड दोनों ही तरह के विद्युत निरीक्षकों का दायित्व हो जाता है कि वे अपने कार्य के प्रति गंभीर हो और नियमानुसार विद्युत तंत्र की स्थापना, मानक उपकरणों के उपयोग और गुणवत्तापूर्ण विद्युत लाईन फिटिंग आदि सुनिष्चित कराएं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि निरीक्षणालय में विद्युत ठेकेदारों, सुपरवाईजर और लाईनमैन के लाइसेंस जारी करने की ऑन लाईन व्यवस्था है। इसके साथ ही ईआईडी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक व बड़ें संस्थानों में स्थापित विद्युत संस्थापनों में पुराने स्थापित विद्युत संस्थापनों की पांच वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना आवष्यक है।


**NAME CHANGE**

I HAVE CHANGED MY NAME ANIKET PAPRIWAL TO ANIKET JAIN ADDRESS:- F-2, 40-41, GAYATRI NAGAR-A, MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR (RAJ.)

**कार्यालय जोधपुर नगर निगम उत्तर**

क्रमांकः न.नि.जो.-उत्तर/जोन-IV/विकास/2021-22/1389 दिनांकः 03.02.2022

ई-निविदा सूचना ( यू.बी.सं. DLB2122SL0825686)

नगर निगम जोधपुर की ओर निम्नलिखित विकास कार्यों हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, कार्य की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें इत्यादि वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in www.sppp.raj.nic.in पर एवं जोधपुर नगर निगम उत्तर की वेबसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/mcjn देखी जा सकती है।

श्रीमती कुन्ती परिहार, महापौर, जोधपुर नगर निगम, उत्तर — राज. संवाद/सी/11491/2021-22 — आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, उत्तर

**Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd. JAIPUR**

NIT/2021-22/21187-201 निविदा सूचना/2021-22 Date 10.02.2022

निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों द्वारा पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है:

| कार्य का विवरण | अनुमानित लागत | निविदा सूचना |
| --- | --- | --- |
| Development of Traffic Safety Park at Ajmer. UBN: (1)RRC2122WSOB00616 | 24.42 Lakh | ई-332/21-22 |
| Repair of Damaged Road & Plantation outside of Humanities Hall at Rajasthan University, Jaipur. UBN: (2)RRC2122WSOB00617 | 12.14 Lakh | |
| Construction of Internal Road for Govt. Engineering College, Dholpur. UBN: RRC2122WSOB00618 | 11.96 Lakh | ई-333/21-22 |

ऑनलाईन निविदा प्राप्त ... दिनांक 10.02.2022 प्रातः 09.00 बजे से 21.02.2022 सायं 06.00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित ... वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://roads.rajasthan.gov.in/rsrdc पर देखा जा सकता है। ... वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

महाप्रबंधक


**जिला कलक्टर ने ली मनरेगा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक**

### जिले के हर किसान तक पहुंचे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ- कलक्टर



**जयपुर (कासं)।** महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की भागीदारी बढ़ाने तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा हेतु गुरूवार को जिला कलक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फार्म पोण्ड, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत ग्रामीण हाट बनाने की कार्य-योजना तथा उस पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं, सांसद विधायक क्षेत्र विकास योजना, वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिला कलक्टर विशाल ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें तथा हर किसान तक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को टास्क दिया कि प्रति ब्लॉक 10-10 प्रगतिशील किसानों को चिन्हित करें जिनके खेत में वॉटरशेड, कृषि विभाग या अन्य योजनाओं से फार्म पोण्ड का निर्माण हो चुका है उनके खेत में सोलर पम्प, फलदार पौधे, ड्रिप इरिगेशन सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाए। विशाल ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर जल संग्रहण की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मानसून आने से पहले समयबद्ध तरीके से जिन राजकीय भवनों, राजकीय विद्यालयों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर निर्मित नहीं है वहा रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर को विकसित किया जाए। जहा पर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब है उसकी मरम्मत कर क्रियाशील किया जाए तथा जहां हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाये गये हैं वहा नये हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जाए।


**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम**

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जोधपुर

**निविदा - सूचना**

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर आगार में पुराना परिसर एवं डीलक्स प्लेटफार्म पर एवं अधीनस्थ बस स्टैण्ड बिलाड़ा बस स्टैण्ड पर विभिन्न स्टॉल्स/कियोस्क, सीजनल गन्ना व्यवसाय एवं आईसक्रीम ठेला व्यवसाय लाईसेन्स पर देने हेतु, आगार की कार्यशाला में वाहनों की सफाई एवं धुलाई का कार्य एवं कार्यशाला में कार्यशाला परिसर एवं शौचालय की सफाई का कार्य मासिक ठेके के आधार पर देने हेतु दिनांक 14.02.2022 को निविदायें आमंत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित राशि रुपये 236/- नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव **दिनांक 14.02.2022 को 14:00 बजे तक** जमा करा सकते हैं। निविदा प्रस्ताव उसी दिन **15:00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं SPPP पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल **(UBN is RTC2122SLOB00352)** पर देखी जा सकती है। निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

**विज्ञापन संख्या - 200/21-22** **मुख्य प्रबन्धक**

Raj.Samwad/C/11480/2021-22


### वैटलेंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा- हेमाराम चौधरी

**जयपुर (कासं)।** वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वैटलेंड पर अगर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाएगा। चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राज्य में वेटलेण्ड ऑथोरिटी का गठन किया गया है। इस ऑथोरिटी में अब तक गैर सरकारी प्रतिनिधियों को नॉमिनेट नहीं किया गया है, यह नॉमिनेशन मुख्यमंत्री स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिए गए है, शीघ्र ही उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में 46 हजार 741 वैटलेंड है तथा ढ़ाई हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले कुल 12 हजार 625 वैटलेण्ड्स है। उन्होंने बताया कि वैटलेण्ड्स का विकास एवं कार्ययोजना संबधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा किया जाता है। वन एवं पर्यावरण विभाग केवल उन वैटलैण्ड्स की देखरेख का कार्य करता है। इससे पहले विधायक भरत सिहं के मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने बताया कि राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की धारा 5 के तहत् किया गया है। उक्त नियमों के अधीन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा विनियमन हेतु चिन्हित आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना, डिजीटल सूची तैयार करना, अनुज्ञात किये जाने वाले कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना, संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, सतत् प्रंबधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना सम्बन्धी कार्य किया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत उप नियम 5 के प्रावधान अतंर्गत राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि उपनियम 5 के अनुसार राजकीय सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य के रूप में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य की, भू दृश्य योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का एक-एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है।


**ICICI Home Finance**

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, पहली मंजिल, सहयोग भवन, हवाई अड्डा सर्किल, कोटा- 324007

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी मंजिल, राजवंश निसान बिल्डिंग, पटेल स्टेडियम के सामने, बजरंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, अजमेर - 305001

[ नियम 8( 6 ) का परंतुक देखें ]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा।

| क्र. सं. | ऋणी का नाम/ सह उधारकर्ता/ गारंटर/ कानूनी वारिस ऋण खाता संख्या | ज्ञात ऋणभारों के साथ सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो | बकाया राशि | आरक्षित मूल्य / बयाना राशि | संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय | नीलामी की तिथि और समय |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| 1. | नीरज कुमार मेघवाल (उधारकर्ता) ललिता बाई (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या NHBRN00000872381 | प्लॉट नंबर 35, श्री गिर्राज पुरम आवासीय योजना, लखवा, कोटा, राजस्थान- 325003 | रु. 32,53,434/- (5 फरवरी, 2022 तक) | रु. 16,26,912/- / रु. 1,62,692/- | 10 मार्च, 2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक | 14 मार्च, 2022 अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक |
| 2. | शिव करण गहलोत (उधारकर्ता) सीता (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या NHKIS00000834292 | खसरा नंबर 486, रकबा नंबर 4356, मकराना, नागौर- 341505 | रु. 12,24,370/- (5 फरवरी, 2022 तक) | रु. 3,04,920/- / रु. 30,492/- | 10 मार्च, 2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक | 14 मार्च, 2022 अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक |

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ऑक्शन टाइगर की वेबसाइट ( **यूआरएल लिंक- https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** ) पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों/नोटिस को **सायं 5.00 बजे** से पहले **11 मार्च, 2022** तक अतिरिक्त ब्याज सहित कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जमा करना होगा। आईसीआईसीआई होम **फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, पहली मंजिल, सहयोग भवन, एयरोड्रम सर्कल, कोटा - 324007 11 मार्च, 2022 को शाम 05:00 बजे** से पहले या उससे पहले। कृपया ध्यान दें, यदि संभावित बोलीदाता उपर्युक्त समय के अनुसार अपना प्रस्ताव जमा करने में असमर्थ हैं तो निविदा दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में जमा की जा सकती है। **प्लॉट नंबर 1, पहली मंजिल, सहयोग भवन, एरोड्रम सर्कल, कोटा - 324007 11 मार्च, 2022 को शाम 05.00 बजे** से पहले या उससे पहले। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) कोटा/अजमेर में देय **'आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी'** के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदाओं को जमा करने के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया 9819881654 पर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://www.icicihfc.com/**

दिनांक: 11 फरवरी, 2022 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: कोटा/अजमेर — आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड